

अ0मु0न्या0दं0—प्रथम
बिरौल थाना कांड संख्या— 455 / 2022
जी0आर0— 955 / 2022
सी0आर0आई0 — 192 / 2025
दिनांक— 20.07.2026

राम चन्द्र चौधरी बनाम लाल बहादुर सदा बैगरह

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम, बिरौल

बिरौल थाना कांड संख्या— 455 / 2022
सी0आर0आई0— 192 / 2025

20.07.2026 सूचक राम चन्द्र चौधरी अनुपस्थित हैं। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।
वाद पुकारा गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि सूचक लगातार कई तिथियों से अनुपस्थित है, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह अब आगे केस लड़ना नहीं चाहता है। प्रस्तुत वाद में अनुसंधान पश्चात् अनुसंधानकर्त्ता द्वारा भी अंतिम प्रतिवेदन संख्या—295 / 2023, दिनांक—30.06.2023 को साक्ष्य की कमी समर्पित की गई। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अनुसंधानकर्त्ता द्वारा दाखिल अंतिम प्रतिवेदन को स्वीकार करती है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

(विजय कुमार मिश्रा)
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी— प्रथम
बिरौल
20.07.2026